न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

(पीठासीन अधिकारी एल0 आर0 गुगरवाल आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 01/2016 प्रार्थना पत्र धारा 6ए

सरकार जरिये तहसीलदार आसीन्द जिला भीलवाडा

बनाम

1. श्री देवीलाल रेगर उचित मूल्य दुकानदार बमामले तहसील आसीन्द
2. श्री सोहनलाल रेगर पुत्र उदा रेगर निवासी बागमली तहसील आसीन्द
3. श्री लक्ष्मण पुत्र नन्दा माली निवासी दौलतगढ तहसील आसीन्द

–प्रार्थी

–विपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955

उपस्थित –

1. विभागीय पेरोकार – प्रार्थी की ओर से
2. विपक्षी स्वयं उपस्थित

निर्णय

दिनांक 28.06.2018

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना–पत्र अतंर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 का विपक्षी के विरूद्ध प्रस्तुत कर यह निवेदन किया गया कि दिनांक 02.11.2014 को ग्राम वासियान बागमाली द्वारा दूरभाष पर सूचना प्राप्त हुई कि राशन के गेहूँ एक पिकअप में भरकर कालाबाजारी हेतु ले जाये जा रहे है। जिसको ग्रामवासियान द्वारा रोक रखा है। सूचना पर ग्राम बागमाली पहुंच कर पिकअप में कुल 18 कटटों में रखे हुये गेहूँ जिनका वजन कुल 1246 किलो 530 ग्राम पाया गया। इनको जप्त कर दीगर राशन डीलर तिलोली ग्राम सेवा सहकारी समिति की सुपुर्दगी में दिये गये है। समस्त कटटों पर भारतीय खाद्य निगम की छाप लगी हुयी है। पिकअप ड्राईवर लक्ष्मण पुत्र नन्दा माली निवासी दौलतगढ के बयान लिये गये। जिसके अनुसार उसने उक्त गेहूँ को राशन डीलर देवीलाल के भाई सोहनलाल रेगर के कहने पर सोहनलाल के मकान में से निकाल कर पिकअप में रखवाये है एवं बताया कि दौलतगढ लेकर जा रहा था। उक्त गेहूँ की कालाबाजारी होने की संभावना के मध्येनजर उसी दिन राशन डीलर श्री देवीलाल की दुकान सील की गयी। दिनांक 16.11.2014 को उक्त दुकान को खोलकर राशन डीलर के स्टॉक की जांच की गयी। जांच के दौरान गोदाम में कुल 228 कटटों में 107.56 क्विटंल गेहूँ मौजूद पाया गया, जबकि मुताबिक स्टॉक रजिस्टर के डीलर के पास कुल 111.70 क्विटंल गेहूँ होना चाहिए था। इस प्रकार मुताबिक स्टॉक रजिस्टर के कुल 4.14 क्विटंल गेहूँ कम पाया गया। गेहूँ कम पाये जाने के संबंध में डीलर द्वारा कोई सन्तोषप्रद जवाब नही दिया गया। इस प्रकार डीलर द्वारा राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के खण्ड 6 एवं प्राधिकार पत्र की शर्त संख्या 1,5,8,11 का स्पष्ट उल्लघंन कर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध किया है। साथ ही गेहूँ का अवैध परिवहन

कर श्री सोहनलाल रेगर पुत्र उदा रेगर निवासी बागमाली तहसील आसीन्द एवं श्री लक्ष्मण पुत्र नन्दा माली निवासी दौलतगढ तहसील आसीन्द द्वारा भी आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/8 के तहत दण्डनीय अपराध करना पाया गया है। अतः निवेदन है कि प्रकरण में 1246 किलो 530 ग्राम गेहूँ को राजसात करने का आदेश फरमावे। चूंकि प्रकरण के अन्तिम निस्तारण में समय लगने से गेहूँ के खराब होने की संभावना है। अतः जब्तसुदा गेहूँ का अन्तरिम निस्तारण करने का आदेश फरमावें।

प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 05.01.2016 को पंजीबद्व किया जाकर विपक्षी को वज़ह जाहिर हेतु नोटिस जारी किया गया। विपक्षी ने जवाब प्रस्तुत किया।

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गयी। दौराने बहस प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराया एवं कार्यवाही संबंधी पत्रादि के संदर्भ में निवेदन किया कि ग्राम वासियान बागमाली द्वारा दूरभाष पर सूचना प्राप्त हुई कि राशन के गेहूँ एक पिकअप में भरकर कालाबाजारी हेतु ले जाये जा रहे है। जिसको ग्रामवासियान द्वारा रोक रखा है। सूचना पर ग्राम बागमाली पहुंच कर पिकअप में कुल 18 कटटों में रखे हुये गेहूँ जिनका वजन कुल 1246 किलो 530 ग्राम पाया गया। इनको जप्त कर दीगर राशन डीलर तिलोली ग्राम सेवा सहकारी समिति की सुपुर्दगी में दिये गये है। समस्त कटटों पर भारतीय खाद्य निगम की छाप लगी हुयी है। पिकअप ड्राईवर लक्ष्मण पुत्र नन्दा माली निवासी दौलतगढ के बयान लिये गये। जिसके अनुसार उसने उक्त गेहूँ को राशन डीलर देवीलाल के भाई सोहनलाल रेगर के कहने पर सोहनलाल के मकान में से निकाल कर पिकअप में रखवाये है एवं बताया कि दौलतगढ लेकर जा रहा था। उक्त गेहूँ की कालाबाजारी होने की संभावना के मध्येनजर उसी दिन राशन डीलर श्री देवीलाल की दुकान सील की गयी। दिनांक 16.11.2014 को उक्त दुकान को खोलकर राशन डीलर के स्टॉक की जांच की गयी। जांच के दौरान गोदाम में कुल 228 कटटों में 107.56 क्विटंल गेहूँ मौजूद पाया गया, जबकि मुताबिक स्टॉक रजिस्टर के डीलर के पास कुल 111.70 क्विटंल गेहूँ होना चाहिए था। इस प्रकार मुताबिक स्टॉक रजिस्टर के कुल 4.14 क्विटंल गेहूँ कम पाया गया। गेहूँ कम पाये जाने के संबंध में डीलर द्वारा कोई सन्तोषप्रद जवाब नही दिया गया। इस प्रकार डीलर द्वारा राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के खण्ड 6 एवं प्राधिकार पत्र की शर्त संख्या 1,5,8,11 का स्पष्ट उल्लघंन कर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध किया है। साथ ही गेहूँ का अवैध परिवहन कर श्री सोहनलाल रेगर पुत्र उदा रेगर निवासी बागमाली तहसील आसीन्द एवं श्री लक्ष्मण पुत्र नन्दा माली निवासी दौलतगढ तहसील आसीन्द द्वारा भी आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/8 के तहत दण्डनीय अपराध करना पाया गया है। निवेदन है कि प्रकरण में 1246 किलो 530 ग्राम गेहूँ को राजसात करने का आदेश फरमावे।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली एवं दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। पटवारी हल्का रूपपुरा के फर्द मौका अनुसार विपक्षी द्वारा स्वयं पर्चा मौका पर हस्ताक्षर किये। तहसीलदार आसीन्द की जांच रिपोर्ट अनुसार जांच के दौरान गोदाम में कुल 228 कटटों में 107.56 क्विटंल गेहूँ मौजूद पाया गया, जबकि मुताबिक स्टॉक रजिस्टर के

डीलर के पास कुल 111.70 क्विटंल गेहूँ होना चाहिए था। इस प्रकार मुताबिक स्टॉक रजिस्टर के कुल 4.14 क्विटंल गेहूँ कम पाया गया। इस प्रकार डीलर द्वारा राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के खण्ड 6 एवं प्राधिकार पत्र की शर्त संख्या 1,5,8,11 का स्पष्ट उल्लघंन कर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध किया जाना सिद्ध होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर जब्त सरकार किया गया 1246 किलो 530 ग्राम गेहूँ को राजसात किया जाना युक्तियुक्त है। अतएव –

आदेश

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 ए के अंतर्गत स्वीकार किया जाता है एवं जब्त सरकार किया गया 1246 किलो 530 ग्राम गेहूँ को राजसात किये जाने के आदेश पारित किये जाते हैं। निर्णय की प्रति जिला रसद अधिकारी भीलवाडा को प्रेषित की जावे। जिला रसद अधिकारी भीलवाडा उक्त 1246 किलो 530 ग्राम गेहूँ का अन्तिम निस्तारण कर राशि जमा करा पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करें ।

निर्णय आज दिनांक 28.06.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

28/06/18

(एल.आर.गुगरवाल)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
भीलवाड़ा

न्यायालय अति. जिला कलेक्टर भीलवाड़ा (राज.)